न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 10/2023 विभागीय अपील

आदेश

दिनांक / /2023

अपीलार्थीः- **श्री अरूण कुमार सिंह, नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा हाल नायब तहसीलदार, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।**

प्रत्यर्थीः- **जिला कलक्टर, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)**

अपील अंतर्गत नियम -23 सीसीए रूल्स-1958 विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2021 अंतर्गत नियम-17 राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर जिला भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, जो दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला भीलवाड़ा क्षेत्र की स्थानांतरित हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को दर्ज की गई।

उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि श्री अरूण कुमार सिंह, नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा हाल नायब तहसीलदार, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 अंतर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जाकर ज्ञापन दिया जाकर निम्न आरोप आरोपित किये गये (अपीलीय निर्णय अनुसार) :-

आरोप-1 आप द्वारा नगर परिषद, भीलवाड़ा के लिए वार्डवार मतदान केन्द्रों का चिन्हिकरण कार्य मतदाताओं की सूविधा एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत नहीं रखा जाकर किया गया तथा, मतदान केन्द्रों के चिन्हिकरण का कार्य जिम्मेदारी पूर्ण नहीं किया जाकर लापरवाही बरती गयी। जिससे राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर के निर्धारित कार्यक्रमानुसार मतदान सूचियों के प्रकाशन में भी मतदान केन्द्रों का त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया। जिससे आगामी निर्वाचन की प्रारंभिक तैयारियों में अनावश्यक विलम्ब हुआ तथा निर्वाचन जैसा महत्वपूर्ण

कार्य वाधित होने की संभावना थी। अतः आपका उक्त कृत्य अपने पदीय कृत्वयों के प्रति उदासिनता एवं लापरवाही का द्यौतक है तथा निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में व्यवधान की श्रेणी में आता है।

अपीलार्थी ने इस आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 09.06.2020 के द्वारा नगर पालिका आम चुनाव, 2020 हेतु नगर परिषद के वार्डो के परिसीमन पश्चात नवीन गठित 70 वार्डो के लिए वार्डवार मतदान केन्द्रों का चिन्हिकरण किया जाकर सूची तैयार करवाये जाने हेतु अपचारी अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया गया था, उक्त आदेश के संबंध में नगर परिषद द्वारा वार्डवार आवश्यक जानकारी उपलब्ध नही कराने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा द्वारा तत्समय ही आदेश को पुनः निकालने हेतु निर्देशित किया था। यह जानकारी बाद में नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 17.06.2020 से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद, भीलवाड़ा में पूर्व में कुल 55 वार्ड थे, जिनके लिये भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुल 226 मतदान केन्द्र निर्धारित थे। नगर परिषद आम चुनाव 2020 नगर परिषद, भीलवाड़ा में कुल 70 वार्डो में संपादित किया गया। नगर परिषद, भीलवाडा को नवीन 15 वार्डो के सहित समस्त 70 वार्डो का परिसीमन का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना था। जिसके पश्चात मतदान केन्द्रों का चिन्हिकरण किया जाना था, इस हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा द्वारा जरिये पत्र दिनांक 16.10.2019 स्मरण पत्र दिनांक 12.03.2020, 02.06.2020, 11.06.2020 एवं 15.06.2020 इत्यादि पत्रों से निरंतर नगर परिषद, भीलवाड़ा से पत्राचार किया गया। प्रासंगिक पत्रों की अनुपालना में नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा अपना प्रत्युत्त दिनांक 17.06.2020 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो, त्रुटिपूर्ण पाया गया। उक्त कार्य करने में नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा अत्यधिक समय लिया जाकर अपना प्रत्युत्तर दिनांक 17.06.2020 को पेश किया गया। इसके पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 17.06.2020 प्राप्ति दिनांक 18.06.2020 के माध्यम से दिनांक 20.06.2020 तक (जो कि मतदान केन्द्रों से संबंधित मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के अंतिम दिनांक) चिन्हिकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा के लिए मतदाताओं की संख्या के अनुपात में आवश्यक कुल 383 मतदान केन्द्रों का चिन्हिकरण कार्य किया गया। इसके पश्चात दिनांक 01.07.2020 को विभिन्न वार्ड पार्षदगणों द्वारा ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया गया जो वास्ते अग्रिम

कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा को अग्रेषित किया गया। जिला कार्यालय के पत्र दिनांक 07.07.2020 से अपचारी अधिकारी को वार्ड 54 से 70 के भौतिक सत्यापन कार्य हेतु नियुक्त किया गया। संदर्भित वार्ड पार्षदों के प्रार्थना पत्रों पर विचार हेतु तहसील कार्मिकों की टीम गठित की जाकर पुनः क्षेत्र निरीक्षण हेतु भेज कर ताईद की गई, कि शिकायतकर्ता को साथ में रखकर ही मतदान केन्द्रों के भवनों का मौका निरीक्षण किया जावें। इसके पश्चात उक्त 383 मतदान केन्द्रों में से 80 मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के प्रस्ताव जिला कार्यालय के पत्रांक दिनांक 09.06.2020 की अनुपालना तथा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 18.04.2020 के अनुक्रम में ही परिवर्तन प्रस्तावित किये गये है, साथ ही ध्यान देने योग्य बिन्दु है कि उक्त परिवर्तनों में मात्र 12 मतदान भवन ही नवीन (प्रथम बार) प्रस्तावित किये गये है, शेष सभी मतदान केन्द्र पूर्व के चिन्हित मतदान केन्द्र भवनों में स्थित है, केवल मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मतदान भवन में मतदान केन्द्रों को प्रतिस्थापित किया गया है। वार्ड पार्षदों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए अनेक मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन हेतु आवेदन किया था। जिनका समस्त भौतिक सत्यापन के दौरान तार्किक विश्लेषण किया गया एवं युक्तियुक्त पाये जाने पर कतिपय मतदान केन्द्रों का परिवर्तन प्रस्तावित किया गया। यह समस्त कार्यवाही दिनांक 20.07.2020 को होने वाले मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पर्याप्त समय पूर्व 10.07.2020 को ही पूर्ण कर ली गयी जिससे समस्त वार्ड पार्षदगण आदि संतुष्ट है। जिसकी पुष्टि एस.डी.एम. भीलवाड़ा के पत्र दिनांक 14.07.2020 से आयोजित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा के कार्यालय में आयोजित राजनैतिक दलों की बैठक से होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपचारी अधिकरी के स्तर पर समस्त कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से यथासमय पूर्ण किया गया एवं कोई लापरवाही नही बरती जाना तथा किसी भी कृत्य से मतदाता सूचियों के प्रकाशन में कोई देरी नही होना अंकित किया। अपचारी अधिकारी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि वह मूलतः प्रोबेशन पर नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित होकर यथा संभव समस्त पदीय कर्तव्य मेरे द्वारा पूर्ण निष्ठा से निष्पादन किया जा रहा है एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा की भावना से पालना की गई है एवं आगे भविष्य में भी कार्य संपादन में कोई शिथिलता नहीं बरती जाकर समस्त दिशा-निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता से पालना की जावेगी।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने पत्रावली पर आरोपित अधिकारी (अपीलार्थी) के कथन, उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन व विचार पश्चात् आदेश

दिनांक 17.03.2021 से अपीलार्थी को दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा-23 राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से संबंधित अभिलेख मय टिप्पणी प्राप्त किया गया। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया दिनांक 26.09.2023 को अपीलार्थी स्वंय उपस्थित हुआ जिस पर अपीलार्थी के पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों एवं दौराने बहस प्रस्तुत जवाब की ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा अत्यधिक समय लिया जाकर अपना प्रत्युत्त दिनांक 17.06.2020 को पेश किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी के स्तर पर समस्त कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से यथासमय पूर्ण किया गया है तथा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है साथ ही प्रार्थी के किसी भी कृत्य से मतदाता सूची के प्रकाशन में कोई देरी नहीं हुई है। यहां प्रार्थी यह भी संज्ञान में लाना चाहता है कि उपरोक्त वर्णित आम चुनाव कोविड-19 महामारी के चलते निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तत्समय स्थगित कर दिये गये थे। प्रार्थी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निष्पादित किया गया है एवं उच्चाधिकारियों द्वारा जारी समस्त आदेशों की पूर्ण समपर्ण एवं निष्ठा की भावना से पालना की गई है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के चलते लॉकडाउन होने एवं लोक परिवहन की सेवाएं बाधित होने के कारण तथा प्रार्थी की माताजी एवं अन्य परिजन कोविड से पीड़ित थे एवं तत्पश्चात कोविड-19 के चलते प्रार्थी की माताजी सहित अन्य परिजन का स्वर्गवास होने के कारण प्रार्थी द्वारा व्यक्गित सुनवाई के लिए पेश होना संभव नहीं हो पाया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर दण्डाज्ञा खारिज करने बाबत निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 17.03.2021 को विधि सम्मत होने का अंकन किया और अपीलार्थी के प्रस्तुत कथनों को अस्वीकार कर अपील निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी की अपील, अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, प्राप्त प्रत्युत्तर, अपीलार्थी के कथनों तथा पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अंतर्गत अरोप पत्र जारी किये गये है जिस पर अपीलार्थी से जवाब प्राप्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोपित

शास्ति निरस्त करने के कारणों की ओर निम्नहस्ताक्षरकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिस पर मनन किया गया।

प्रकरण में अभिलेख देखने से यह प्रकट होता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा के पत्रांक 974 दिनांक 09.06.2020 से नगर परिषद आम चुनाव, 2020 हेतु नगर परिषद, भीलवाड़ा के वार्डो के परिसीमन पश्चात् नवीन गठित 70 वार्डों के लिए वार्डवार मतदान केन्द्रों के चिन्हिकरण किया जाकर सूची तैयार करवाए जाने हेतु आरोपी अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया जाने के उपरांत उक्त कार्य हेतु नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 4314 दिनांक 17.06.2020 से वार्डवार आवश्यक जानकारी विलम्ब से उपलब्ध करवायी गयी, जो कि त्रुटिपूर्ण होने से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा के पत्रांक 1004 दिनांक 21.06.2020 द्वारा तहसीलदार, भीलवाड़ा को मतदान केन्द्रों का पुनः चिन्हिकरण किया जाकर भौतिक सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी रिपोर्ट यथासयम प्रेषित कर दी गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर), भीलवाड़ा के पत्रांक 81311 दिनांक की पालना में मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन दिनांक 30.06.2020 को ही कर दिया जाना स्पष्ट है।

उक्त प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची पर राजनैतिक दलों से प्राप्त आपत्ति/शिकायत के निस्तारण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर), भीलवाड़ा द्वारा आदेश क्रमांक 81352 दिनांक 07.07.2020 से पुनः भौतिक सत्यापन हेतु 04 सदस्यीय टीम का गठन किया जाकर अपीलार्थी को वार्ड संख्या 54 से 70 तक का भौतिक सत्यापन हेतु आदेशित किया गया था, जिसकी यथासयम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना स्पष्ट है।

प्रकरण में राजनैतिक दलों की आपत्ति एवं कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की पालना में 70 वार्ड से बढ़ाकर 80 वार्ड के प्रस्ताव को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा के पत्रांक 1072 दिनांक 13/14.07.2020 से जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर), भीलवाड़ा को प्रेषित करने पर उक्त प्रस्ताव पर राजनैतिक दलों द्वारा पुनः मौखिक आपत्ति/शिकायत प्राप्त होने पर उनके निस्तारण हेतु राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्षों से चर्चा/विचार-विमर्श करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा के पत्रांक 1073 दिनांक 14.07.2023 द्वारा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के प्रस्तावों पर उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त की गई, तद्उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर), भीलवाड़ा पत्र क्रमांक 81426 दिनांक 20.07.2020 से मतदान केन्द्र के स्थानों की घोषणा की गई।

अतः स्पष्ट है कि नगर परिषद, भीलवाड़ा में पूर्व में 50 वार्ड थे जिनके लिए कुल 226 मतदान केन्द्र निर्धारित थे। नगर परिषद, आम चुनाव, 2020 हेतु नगर परिषद, भीलवाड़ा में कुल 70 वार्डो का गठन किया गया था। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा के पत्रांक 981 दिनांक 17.06.2020 द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा से मतदान केन्द्र किस वार्ड की परिसीमन में आ रहा है बाबत सूचना चाही गई एवं तत्समय वर्तमान स्थिति के आधार पर मतदान केन्द्र के सम्मुख वार्ड का अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 974 दिनांक 09.06.2020 के क्रम में वार्डवार मतदान केन्द्रों का चिन्हिकरण अपीलार्थी द्वारा किया जाना स्पष्टतया संभव नहीं था।

नगर परिषद, भीलवाड़ा को नवीन 15 वार्डो सहित समस्त 70 वार्डों का परिसीमन एवं चिन्हिकरण का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना था, जिसके पश्चात् मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन किया जाना था। इस संदर्भ में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी (एस.डी.एम.) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 714 दिनांक 16.10.2019 एवं विभिन्न स्मरण पत्रों से आयुक्त, नगर परिषद से पत्राचार किया गया, उक्त पत्रों के क्रम में नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा अपना प्रत्युत्तर पत्रांक 4314 दिनांक 17.06.2020 से प्राप्त हुआ, जो त्रुटिपूर्ण पाया गया। उक्त कार्य करने में नगर परिषद, भीलवाडा द्वारा समय लिया जाकर अपना प्रत्युत्तर दिनांक 17.06.2020 को पेश किया गया था। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी के स्तर पर समस्त कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से यथासमय पूर्ण किया गया था तथा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है साथ ही अपीलार्थी के किसी भी कृत्य से मतदाता सूची के प्रकाशन में कोई विलम्ब नही किया जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा पत्रावली में ऐसा ओर कोई साक्ष्य/तथ्य रेकार्ड पर उपलब्ध नही है, जिससे आरोपी कार्मिक पर आरोपित किये गये आरोप प्रमाणित/सिद्ध पाये जाते हैं। प्रथमदृष्टया उक्त अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय तथा विधि के विपरीत होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2021 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। आदेश की प्रति जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर